

कार्यालय का नाम :-कार्यालय कलेक्टर(आदिम जाति कल्याण) जिला:-बैतूल

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अन्तर्गत मैनुअल
(अनुसूचित जाति विकास)

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के अनुसार इस हस्तपुस्तिका का निर्माण किया गया है ।

1.2 उद्देश्य :-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस पुस्तिका का निर्माण किया जाकर जनसामान्य को इस अधिनियम से भली भांति अवगत कराया जा सके इस दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग अंतर्गत विभागीय गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को समेकित किया गया है।

1.3 उपयोग :-

इस पुस्तिका का निर्माण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों/संस्थानों/ संगठनों के उपयोग हेतु किया गया है।

1.4 प्रारूप :-

1.5 परिभाषायें :-

पुस्तिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग से आशय भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा इन वर्गों में सम्मिलित की गयी जातियों से है।

1.6 समायोजित विषय एवं सम्पर्क व्यक्ति :-

इस पुस्तिका में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संचालित समस्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा इस सम्बंध में विहित शासन की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गयी है, एवं इन जानकारियों के सम्पर्क के लिए **सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल (कलेक्ट्रेट परिसर) के कक्ष क्र. 2 एवं 10** से सम्पर्क किया जा सकता है।

1.7 जानकारी हेतु विधि एवं शुल्क :-

पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एवं मध्यप्रदेश शासन के द्वारा उल्लेखित विधि तथा निर्धारित की गयी शुल्क से प्राप्त की जा सकेगी ।

अध्याय – 2 (मैनुअल –1)

संगठन को विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :-

इस विभाग का गठन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से किया गया है ।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :-

इस विभाग का मिशन इन वर्गों के समग्र और सम्पूर्ण विकास पर केन्द्रित है। इस हेतु विभागीय संचालित योजनाओं के माध्यम से एवं जिला स्तर पर इन वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रख योजनाओं का निर्माण/क्रियान्वयन करना है ।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :-

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :-

सूचना के अधिकार अंतर्गत परिभाषित सामग्री की जानकारी अनुरोधकर्ता को विधिवत उपलब्ध कराने में सहयोग एवं समय सीमा पर उसे उपलब्ध कराया जाना उसका कर्तव्य है

2.5 लोक प्राधिकरण के कृत्य :-

अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ शासन की योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं इस वर्ग तक लाभ पहुंचाना, इसका मुख्य कृत्य है।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :-

विभाग द्वारा उल्लेखित वर्गों की शैक्षणिक ,सामाजिक, आर्थिक उन्नति हेतु प्रदत्त मुख्यतः सेवायें निम्नानुसार हैं:-

1. छात्रावास/आश्रमों का संचालन :-

बैतूल जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के कुल 66 छात्रावास संचालित है । जिनमें शासन द्वारा स्वीकृत 3350 सीट्स एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के कुल 41 आश्रम संचालित हैं, जिनमें शासन द्वारा स्वीकृत 2550 सीट्स हैं । जिनमें इस वर्ग की छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर आवास, भोजन आदि की सुविधा मुहैया कराकर शैक्षणिक उन्नति के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

2. व्यक्ति एवं परिवार मूलक योजनायें:-


इन वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिनमें सौभाग्यवती कन्या विवाह योजना, सामूहिक विवाह योजना, अंतर्जातीय विवाह योजना के रूप में तथा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पुर्नवास तथा राहत हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995 के तहत आर्थिक सहायता आदि प्रदान की जाती है।

3. अधोसंरचना का विकास :-

अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार जिन स्थानों पर निवास करते हैं उन क्षेत्रों में शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधोसंरचना का विकास किया जाकर इन वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष सुविधायें प्रदान करने की दिशा में विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से कार्य किये जाते हैं ।

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संचनात्मक ढाँचा:-

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय के अधीन है । कार्यालय प्रमुख के रूप में सहायक आयुक्त के द्वारा कार्यालय का नियंत्रण किया जाता है । कार्यालयीन संरचना निम्नानुसार है :-



2.8 कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें :-

लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जिले में विभिन्न स्तर पर पालक शिक्षक संघ एवं जन भागीदारी समितियां गठित हैं । ये समितियां लोक प्राधिकरण के कार्यों को तत्परता से निपटाने में आवश्यक सहयोग करेंगी । ऐसी अपेक्षायें हैं ।

2.9 जनसहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि / व्यवस्था :-

सभी पालक शिक्षक संघ एवं जनभागीदारी समितियां अपने दायित्वाधीन सभी कार्यवाहियाँ स्थापित नियम निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करेंगी ।

2.10 जनसेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :-

जन सेवाओं के अनुश्रवण तथा शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं कलेक्टर के द्वारा शिकायतों का निराकरण किया जाता है। जिले में जिला स्तर पर जिला स्तरीय छानबीन समिति, जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गठित हैं जो योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं शिकायतों का निराकरण करती हैं। प्रदेश स्तर पर विभागाध्यक्ष तथा प्रदेश स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अनुश्रवण एवं शिकायतों का निराकरण किया जाता है।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :-

मुख्य कार्यालय - कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल पिन कोड-460001

विकास खण्ड स्तरीय कार्यालय-

1. विकास खण्ड अधिकारी, बैतूल
2. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, चिचोली
3. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, शाहपुर
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, घोड़ाडोंगरी
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, भैंसदेही
6. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, आठनेर
7. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, भीमपुर
8. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुलताई (शिक्षा विभाग)
9. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, आमला (शिक्षा विभाग)
10. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्रभातपट्टन (शिक्षा विभाग)

2.12 कार्यालय के खुलने का समय- प्रातः 10.30 बजे

बंद होने का समय- सायं. 05.30 बजे

अध्याय – 3 (मैनुअल-2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

3.1 अधिकारियों के प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार :-

पद का नाम	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास,	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न शासकीय आदेशों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार
	वित्तीय	मध्यप्रदेश शासन वित्त संहिता के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार
	अन्य	विभागीय निर्देशों के अंतर्गत अन्य शक्तियों का उपयोग
कर्तव्य	1. विभागीय निर्देशों के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	
	2. विभागीय संस्थाओं का समुचित संचालन, क्रियान्वयन, नियंत्रण	
	3. विभागीय कर्मचारियों के उचित दायित्व निर्वहन पर नियंत्रण	

अध्याय – 4(मैनुअल-3)

- कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख**
4.1 विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप में है :-

अभिलेख का नाम :- अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना
नियम 1979

अभिलेख का प्रकार

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र. शासन द्वारा जिले के जरूरतमंद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को संकटापन्न/अति संकटापन्न स्थिति के कारण तत्काल राहत स्वीकृत करने के लिए यह नियम बनाये गये है। इस योजनांतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर दैवीय प्रकोप अथवा दुर्घटना, असहाय/निराश्रित हों उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र रहेंगे।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते है

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343 कार्यालय
फेक्स-07141-234343
ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 अभिलेख का प्रकार

अधिनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-भारत गणराज्य के 40 वें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया है । इस अधिनियम अंतर्गत 5 अध्यायों में अनुसूचित जातियों और जनजाति के सदस्यों का अपराध करने का निवारण करने के लिए, एवं ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुर्नवास तथा उससे संबंधित या उससे अनुशांगिक विषयों का उपबंध करने का उल्लेश किया गया है । इस अधिनियम की नियम 12(4) में क्रमांक 1 से 22 तक विभिन्न धाराओं के अपराध के लिए राहत की राशियां निर्धारित की गई है । इन नियमों के अधीन पुर्नवास और मासिक जीवन निर्वाह की व्यवस्था के साथ ही विशेष न्यायालय गठित हैं ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति पता
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल, कक्ष क्रमांक-2 एवं 10

दूरभाष-07141-234343 कार्यालय
फैक्स-07141-234343
ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति शासन निर्देश अनुसार
को प्राप्त करने का शुल्क

अभिलेख का नाम :- आकस्मिकता योजना नियम 1995

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-म.प्र.शासन,अनुसूचित जाति,और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर 1 मार्च 1996 से प्रभावशील उक्त नियम प्रभावशील हैं । इस नियम अंतर्गत अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के लोगों को जो कि गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति एवं व्यक्तियों के द्वारा किये गये अत्याचार से पीड़ित हो उन्हें राहत सहायता, पीड़ित व्यक्ति व गवाहों को यात्रा भत्ता,भरण पोषण और परिवहन सुविधायें, चिकित्सा,मासिक निर्वाह भत्ता, रोजगार,पेयजल, कृषि भूमि, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पुर्नवास, स्वरोजगार, विकलांगों को कृत्रिम अंग सहायता, तथा प्रचार-प्रसार व जनजागरण की योजनाओं को शामिल किया गया है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते है

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343-कार्यालय
फैक्स-07141-234343
ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955

अभिलेख का प्रकार

अधिनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने और उसमें उपजी किसी निर्योग्यता, को लागू करने और उससे संबंधित बातों के लिए दण्ड विहित करने के लिए 1955 में इस अधिनियम की स्थापना की गई । इस अधिनियम अंतर्गत धार्मिक निर्योग्यतायें लागू करने के लिए, सामाजिक निर्योग्यतायें लागू करने के लिए, अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने से इंकार करने के लिए, माल बेचने या सेवा करने से इंकार करने के लिए, अस्पृश्यता से उद्भूत अन्य अपराधों के लिए, दण्ड की विवेचना की गई । इस अधिनियम अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में अजाक पुलिस थानों की स्थापना की गई है ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343 कार्यालय
फ़ैक्स-07141-234343
ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- छात्रावास निर्देश

अभिलेख का प्रकार

नियम-निर्देश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:-म.प्र.शासन, अनुसूचित जाति,जनजाति विभाग द्वारा छात्रावास नियम वर्ष 1966-67 का निर्माण अनुसूचित जाति, एवं जनजाति के बालकों /कन्या को आश्रम एवं छात्रावास में निवास करने हेतु किया गया है । इस नियम अंतर्गत इन संस्थाओं में प्रवेश,सुविधायें, संचालन व्यवस्था, अधिकार,कर्तव्य,आदि की विवेचना की गई ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343

फेक्स-07141-234343

ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- निर्माण निर्देश

अभिलेख का प्रकार

निर्देश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत चलने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं । जिसमें निर्माण कार्यों के समय-समय पर प्रसारित आदेश/निर्देश तथा बुक ऑफ फाइनेंसियल पॉवर के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार भी निहित हैं । विभाग के द्वारा प्रायः लोक निर्माण विभाग के कार्य मैनुअल का अनुशरण किया जाता है ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343 कार्यालय
फैक्स-07141-234343
ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- म.प्र.अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय
विवाह प्रोत्साहन योजना नियम-2007

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन नियम-1978 को अधिक्रमित करते हुए नवीन योजना नियम-2007 बनाया गया है, जो दिनांक 23.07.07 से प्रभावशील है । इस नियम के अंतर्गत संवर्ग हिन्दू जाति के लड़के अथवा उस समुदाय की लड़की द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय की लड़की अथवा उस समुदाय के लड़के से धार्मिक अथवा पजीयन पद्धति से वैध विवाह संपन्न किया हो । ऐसे दम्पति को रुपये 50000- का नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाना प्रावधानित है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति पता
कहाँ से प्राप्त कर सकते है

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2 एवं 10
--

दूरभाष-07141-234343 कार्यालय
फैक्स-07141-234343
ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- अनुसूचित जाति बस्तियों का सघन विकास निर्देश अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा " म.प्र. हरिजन बस्ती विकास योजना नियम 1989 " से यथा संशोधित लागू किये गये हैं,इन नियमों के अंतर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के ग्राम तथा नगरीय बस्ती जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है अथवा इस वर्ग के 25 परिवार ग्राम पारा, मजरा, टोलों में निवासित हैं ऐसी बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये नवीन पेयजल कूप निर्माण, पेयजल कूप मरम्मत/गहरीकरण, विद्युतीकरण, एकलबत्ती कनेक्शन एवं पम्पों का ऊर्जाकरण, सामूदायिक भवन, वर्कसेड, प्राथमिक शाला, उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन, चबूतरा निर्माण, आंतरिक मार्ग निर्माण कराया जाना प्रावधानित हैं ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति पता
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल, कक्ष क्रमांक-2 एवं 10

दूरभाष-07141-234343-कार्यालय
फेक्स-07141-234343
ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- अस्वच्छ धंधा व्यवसायीकरण निर्देश

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अस्वच्छ धंधों का व्यावसायीकरण योजना नियम 1982, का निर्माण अस्वच्छ धंधों के कार्य की दशा में सुधार के कार्यक्रम, परिमूलक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, इन नियमों अंतर्गत लिए गए हैं इस योजनांतर्गत सूखे शौचालयों को फलेश शौचालय में परिवर्तित करने हेतु अनुदान, कचरा मैला गाड़ी का प्रदाय,व्हील वेरोज एवं मैला साफ करने के लिए तकनीकि औजारों का क्रय, सेप्टिक टैंकों एवं नालियों की सफाई हेतु मशीनों का क्रय, सफाई कामगारों का गमबूट, उस्तानें एवं पंजा आदि प्रदाय करने, ट्रांजिट होम का निर्माण, वर्किंगसेड का निर्माण आदि योजनाओं हेतु नगर पालिका नगर निगम/नगर पंचायत को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है । साथ ही परिवार मूलक कार्यक्रमों में मृत मवेशी के चमड़ा,हड्डी, मांस, आदि के विक्रय स्थल एवं अन्य स्थानों तक परिवहन के लिए बैलगाड़ी एवं बैलजोड़ी तथा अस्वच्छ धंधों में कार्यरत व्यक्तियों के प्राथमिक शाला में पढ़नेवाले बच्चों को गणवेश प्रदान की जाती है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343-कार्यालय

फैक्स-07141-234343

ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- अस्पृश्यता निवारण ग्राम पंचायतों के निर्देश

अभिलेख का प्रकार

निर्देश

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को अस्पृश्यता निवारण संबंधी कार्यों हेतु प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से ऐसी ग्राम पंचायतों को जो इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करे आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में घोषित कर, पुरस्कृत करने के निर्देश दिये गये इस योजना में ग्राम पंचायतों के द्वारा हरिजन मोहल्लों की साफ-सफाई, नाली, प्रकाश, सड़क, पीने के पानी की व्यवस्था, अपराधिक और सिविल वादों, छुआछूत मिटाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों, प्रोढ़ साक्षरता बढ़ाने के प्रयास, अनुसूचित जाति को भूमि आवंटन, कृषि मजदूरों को मजदूरी, ऋण ग्रस्तता निवारण के प्रयास, सामाजिक तथा धार्मिक उपासना के स्थानों पर अनुसूचित जाति को समता से प्रवेश के आधार पर आदर्श ग्राम पंचायत का चयन जिला स्तर पर समिति द्वारा किया जाकर राशि रूपये 5000/- चयनित आदर्श ग्राम पंचायत को पारितोषिक स्वरूप राशि प्रदान की जाती हैं ।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343

फैक्स-07141-234343

ई-मेल-twelfarebetmp@nic.in

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता निर्देश अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा ऐसे नवीन विधि स्नातकों को जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं 200/- प्रति माह की दर से एक वर्ष तक आर्थिक सहायता विधि व्यवसाय में स्थापित होने के लिए प्रदान की जाती है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति पता
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343-कार्यालय

फ़ैक्स-07141-234343

ई-मेल- twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- राज्य छात्रवृत्ति निर्देश

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति देने हेतु छात्रवृत्ति नियम 1972 का निर्माण किया गया । एवं पिछड़े वर्ग के लिए छात्रवृत्ति नियम 1982 का निर्माण किया गया । इस योजना में कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 10 तक राज्य छात्रवृत्ति की भिन्न-भिन्न दरों पर छात्रवृत्ति दी जाती है । वर्तमान में यह सम्पूर्ण व्यवस्था बैंक माध्यम से संचालित है । राज्य छात्रवृत्ति स्वीकृति के अधिकारों का भी राज्य शासन द्वारा विकेन्द्रीकरण कर विभिन्न शासकीय शालाओं के प्राचार्य/प्रधानपाठक को अधिकृत किया गया है । शासन द्वारा इस वित्तीय सत्र से अनुसूचित जाति की छात्रवृत्तियां एक किश्त में छात्र-छात्राओं को भुगतान के निर्देश दिये गये हैं । इन छात्रवृत्तियों में शाला स्तर से आवेदन पत्रों /स्वीकृतियों का प्रसारण किया जाता है तदपरान्त विभाग द्वारा स्वीकृति अनुसार राशि नोडल अधिकारी के माध्यम से बैंको के द्वारा वितरण कराई जाती है एवं बैंक स्क्रोल का समायोजन महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को लेखा भेजा जाता है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहां से प्राप्त कर सकते हैं

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2 एवं 10
--

दूरभाष-07141-234343

फैक्स-07141-234343

ई-मेल- twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

अभिलेख का प्रकार

विनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा अनुसूचित जातियों,जनजातियों के लोगो को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने हेतु मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 1976-77 एवं 1995 से लागू की गई । तथा पिछड़ा वर्ग के लोगो के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1988-89 जुलाई 1988 से लागू की गई । उक्त योजना में इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में छात्रावास में रहने वाले एवं छात्रावास में न रहने वाले वर्गों को पृथक-पृथक दर से पृथक-पृथक वर्ष में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसके साथ ही निर्वाह भत्ता एवं फीस भी प्रदान की जाती है । इस छात्रवृत्ति अंतर्गत आय वर्ग का वंधन रखा गया है । इस योजना को भी जिला स्तर पर सम्पूर्ण बैंक माध्यम से संचालित किया जाता है । आवेदन प्रक्रिया संबंधित संस्थाओं के माध्यम से सम्पन्न होती है एवं शासकीय संस्थाओं के प्राचार्यों को स्वीकृति जारी करने के वित्तीय अधिकार दिये गये इसी स्वीकृति के अनुरूप विभाग द्वारा राशि प्रदान की जाती है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते है

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343

फैक्स-07141-234343

ई-मेल- twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- प्रावीण्य उन्नयन योजना निर्देश

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति,जनजाति कल्याण विभाग द्वारा राज्य छात्रवृत्ति प्रावीण्य नियम 1984 लागू शैक्षणिक सत्र-1984-85 से लागू किये गये है । इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा वर्ष 1999 में इस योजना के नियम प्रसारित किये गये । इस योजना में अनुसूचित जाति,जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को अधिकतम प्रावीण्यता अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना संचालित है । इस योजना में मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्था का नियमित विद्यार्थी, कक्षा 5वीं से 12 वीं तक अध्ययनरत प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने वाला तथा म.प्र.का मूल निवासी की शर्तें पात्रता हेतु निश्चित है ।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा उत्कृष्टता संस्थान योजना नियम 2001 जो 1.7.2001 से प्रभावशील है, लागू किये गये । इस योजना में अनुसूचित जाति,जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा देने एवं विशेष कोचिंग के माध्यम से प्रावीण्य को बढ़ाने उद्देश्य से यह नियम बनाये गये है । यह योजना केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए ही सीमित रखी गई है । इन संस्थानों में प्रवेश हेतु मेरिट एवं योग्यता जांच परीक्षा के आधार पर बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक के 60 प्रतिशत एवं योग्यता जांच परीक्षा के 40 प्रतिशत अंक जोड़कर मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाता है । इन संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग का म.प्र.का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते है

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343

फैक्स-07141-234343

ई-मेल- twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना निर्देश

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति,जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में महिला साक्षरता 5 प्रतिशत से कम होने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की गई । इस योजना में कन्याओं को कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण कर 6वीं में प्रवेश करने पर प्रति कन्या 250/- रु. प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है । यह दर 1992 से बढ़ाकर 500/- किया गया है । उक्त प्रोत्साहन राशि की पात्रता केवल उन छात्राओं को होगी, जिनके पालक/अभिभावक आयकरदाता नहीं है । अनुसूचित जाति की कन्याओं को प्रोत्साहन राशि एक किश्त में 15 अगस्त तक भुगतान होगी । उक्त योजना की स्वीकृति राज्य छात्रवृत्ति के अनुसार शाला प्रमुख के द्वारा ही की जावेगी ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक 2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343

फैक्स-07141-234343

ई-मेल- twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- विद्यार्थी कल्याण सहायता निर्देश

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति,जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम 1984 से लागू किये गये हैं । इस योजना में विद्यार्थियों को अध्ययन में रुकावट न हो इस हेतु आकस्मिक विपत्ति में सहायता,विशेष रोग से पीड़ित होने पर सहायता, विद्यार्थी की विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु सहायता, लोक नृत्य, लोकगीत आदि के प्रदर्शन में भाग लेने हेतु सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को शासकीय अथवा मान्य प्राप्त शिक्षण संस्था का कक्षा 6 से 11 अथवा मेट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना अनिवार्य है तथा उसके पालक/पिता की आय 1000/-रु. मासिक से अधिक न हो । इस योजना में शाला प्रमुख की अनुशंसा अनिवार्य होगी । इस योजना में 1000/- से 5000/- तक की सहायता प्रदान की जाती है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

पता

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343

फ़ेक्स-07141-234343

ई-मेल- twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :- अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुदान निर्देश अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति,जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अशासकीय संस्था अनुदान नियम 1985 से लागू किये गये है । इस योजना में अनुसूचित जाति,जनजाति के शैक्षणिक ,सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान संबंधी गतिधियों में संलग्न संस्थाओं को अनुरक्षण एवं व्यवस्था हेतु, भवन निर्माण,भवन मरम्मत,जीर्णोधार, शिष्यवृत्ति, उपकरण अनुदान, के रूप में सहायता दी जाती है । उक्त सहायता म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44-1973) के अधीन पंजीवद्ध अशासकीय संस्थाओं को ही अनुदान दिया जाता है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति पता
कहाँ से प्राप्त कर सकते है

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल, कक्ष क्रमांक-2 एवं 10

दूरभाष-07141-234343 कार्यालय
फ़ेक्स-07141-234343
ई-मेल- twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अभिलेख का नाम :-बालिकाओं को गणवेश प्रदाय योजना निर्देश अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय:- म.प्र.शासन अनुसूचित जाति,जनजाति कल्याण विभाग द्वारा 2004-05 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं को कक्षा 1 से 8वीं तक गणवेश का प्रदाय किया जाता है । इस योजना में पालक शिक्षक संघ की सहभागिता से प्रति छात्रा 90/- का अनुदान दिया जाता है । पालक शिक्षक संघ द्वारा अपने स्तर से गणवेश क़य की जाकर छात्राओं को प्रदान की जाती है ।

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति पता
कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं

सहायक आयुक्त, आदिवासी
विकास, बैतूल कक्ष क्रमांक-2
एवं 10

दूरभाष-07141-234343 कार्यालय

फ़ेक्स-07141-234343

ई-मेल- twelfarebetmp@nic.in

नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख की प्रति
को प्राप्त करने का शुल्क

शासन निर्देश अनुसार

अध्याय – 5 (मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यन्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गई व्यवस्था का विवरण

- 5.1 नीति निर्धारण हेतु जनता या जनप्रतिनिधि का परामर्श/भागीदारी का प्रावधान:-**
विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में नीति का निर्धारण शासन के द्वारा किया गया है। जनता एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
- 5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु जनता/जनप्रतिनिधि से परामर्श /भागीदारी का प्रावधान है**

क्र.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 17(2) अनुसार गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिट्रिंग समिति	हां	म.प्र.शासन के निर्देशानुसार जिला स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 17(2) अनुसार जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिट्रिंग समिति का गठन किया जाता है। जिसमें सांसद/विधायक, पुलिस अधीक्षक, 5 गैर सरकारी सदस्य, 03 गैर सरकारी संगठन, सदस्य है। जिला दण्डाधिकारी, उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, इसके सचिव है।
2	जनजागृति एवं सद्भावना शिविर	हां	अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण नियमों के प्रावधान अंतर्गत प्रचार प्रसार एवं जागृति हेतु शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिसमें अधिकारियों के साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
3	कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को राज्य छात्रवृत्ति का वितरण	हां	अनुसूचित जाति की बालिकायें जो कक्षा 1 से 5 वीं में अध्ययनरत हैं। उन्हें प्रतिमाह 15 रुपये (कुल 10 माहों के लिये 150 रुपये) छात्रवृत्ति का भुगतान 31 अक्टूबर, तक उनके अभिभावकों को पालक शिक्षक संघ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है।

अध्याय – 6 (मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

6.1 विभाग के समस्त अभिलेख जिला स्तर पर जिला संयोजक कार्यालय में संधारित किये जाते हैं जो शाखावार निम्नानुसार है :-

क	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	लेखा शाखा	विभागीय आवंटन एवं व्यय का बजट तैयार करना, मासिक व्यय पत्रक तैयार करना, व्यय पर नियंत्रण, महालेखाकार को व्यय समाधान, जिला योजना का बजट तैयार करना, अनाज, यात्रा, त्योहार, चिकित्सा, अग्रिमों की स्वीकृति, आकस्मिक व्यय, एवं यात्रा देयकों की स्वीकृति, देयक शाखा पर नियंत्रण ।	शासन निर्देश अनुसार	सहायक आयुक्त
	आडिट शाखा	महालेखाकार एवं विभागीय आडिट के बिन्दुओं का उत्तर देना एवं उनके आदेशों अनुपालन करना, लोक लेखा समिति तथा हानि-गबन प्रकरणों पर कार्यवाहियां ।	शासन निर्देश अनुसार	सहायक आयुक्त
	स्थापना शाखा	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत अभिलेखों का संधारण, भविष्य निधि अग्रिम, आंशिक प्रत्याहरण की स्वीकृति देना, विभागीय निर्देशों के अनुसार नियमितीकरण, पदोन्नति, सेवा निवृत्ति पेंशन, अवकाश, वेतन वृद्धि की स्वीकृति देना, अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण, कर्मचारियों लघु शास्ति, दीर्घ शास्ति, निलंबन, बहाली, विभागीय जांच का संधारण, बरिष्ठता सूची का प्रकाशन विभागीय निरीक्षण का अनुपालन करना, आरक्षण रोस्टर एवं गोपनीय चरित्रावलियों का संधारण एवं कार्यवाहियां.	शासन निर्देश अनुसार	सहायक आयुक्त
4	देयक शाखा	विभागीय कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य स्वत्वों के देयक, अन्य आकस्मिक योजना विषयक देयक तैयार करना, कर्मचारियों की पासवुक का संधारण, विभिन्न अग्रिमों की पंजी का संधारण, विभागीय कैशवुक, विलवुक, चैक पंजी, विभिन्न प्रकार की लेखा पंजियों का संधारण एवं समस्त देयकों का रखरखाव ।	शासन निर्देश अनुसार	सहायक आयुक्त
5	सांख्यिकी शाखा	विभागीय योजनाओं से संबंधित समस्त प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी का संकलन, मासिक बैठकों का आयोजन एवं शासन को समय-समय पर वांछित जानकारियों का प्रेषण ।	शासन निर्देश अनुसार	सहायक आयुक्त
6	छात्रवृत्ति शाखा	विभाग द्वारा प्रदत्त की जाने वाले विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्राप्त एवं संधारण तथा बैंकों के माध्यम से छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति वितरण की व्यवस्था संबंधित नोडल संस्थाओं के माध्यम से किया जाना । साथ ही भुगतान देयकों का समयोजन, छात्रवृत्ति संबंधी शिकायतों का निराकरण, स्वीकृति भुगतान एवं समायोजन पंजी का संधारण, बैंक खाते का संधारण ।	शासन निर्देश अनुसार	सहायक आयुक्त
7	निर्माण शाखा	विभागीय भवनों के रखरखाव, निर्माण कार्य, लघुनिर्माण कार्य, साज-सज्जा, के कार्यों की स्वीकृति, आवंटन का आहरण, पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषण विभागीय भवन पंजी का संधारण ।	शासन निर्देश अनुसार	सहायक आयुक्त

8	अत्याचार निवारण राहत शाखा	अत्याचार निवारण अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर स्वीकृति,आवंटन आहरण एवं भुगतान, अत्याचार पीड़ितों के परिवार को अन्य सुविधाओं विषयक कार्यवाही करना, सदभावना शिविर, जनजागृति शिविरों का आयोजन ।	शासन निर्देश अनुसार	सहायक आयुक्त,
9	अन्य योजनायें	अन्य योजनाओं अंतर्गत प्राप्त आवंटन, अनुसार प्रस्ताव एवं आवेदन प्राप्त करना, स्वीकृति प्रसारित करना भुगतान करना, योजना विषयक पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषण, शिकायत एवं अन्य आवेदनों पर कार्यवाही करना ।	शासन निर्देश अनुसार	सहायक आयुक्त

अध्याय – 7 (मैनुअल-6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

- 7.1 म.प्र.शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम-1995 के नियम 17(2) के अंतर्गत कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक 3169 दिनांक 23.05.2011 के द्वारा जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिटरिंग समिति का गठन किया गया है ।
- 0 समिति का नाम:- जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिटरिंग समिति
- 0 संक्षिप्त परिचय:- शासन निर्देशानुसार आदेश क्रमांक 3169 दिनांक 23.05.2011 के द्वारा समिति का गठन किया गया है । अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत पुर्नवास सुविधायें तथा उससे संबंधित मामलों, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के पुर्नविलोकन के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया है ।
- 0 समिति की भूमिका:- अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों, पुलिस में विवेचनाधीन प्रकरणों तथा न्यायालयीन प्रकरणों के निर्णय, न्यायालय में लंबित प्रकरणों की प्रगति पर समीक्षा एवं सुझाव ।
- 0 स्वरूप से वर्तमान सदस्य:- वर्तमान में कार्यरत समिति में सांसद/विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी संगठन, के व्यक्ति सदस्य है । इस समिति के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट एवं सचिव सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास हैं ।
- 0 मुख्य अधिकारी का नाम:- वर्तमान में उक्त समिति के अध्यक्ष श्री **बी.चन्द्रशेखर**, कलेक्टर बैतूल एवं सचिव श्री **डॉ. उषा अजयसिंह**, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल हैं ।
- 0 मुख्य कार्यालय का पता:- कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल म.प्र.460001
- 0 बैठक की आवृत्ति:- शासन निर्देशानुसार प्रत्येक 3 माह में उक्त समिति की बैठक आयोजित की जाती है ।
- 0 बैठक में जनता की भागीदारी:- समिति के मनोनीत माननीय सदस्यों की भागीदारी उनके सुझाव पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है ।
- 0 बैठक का कार्यवृत्त:- प्रत्येक त्रैमास में एक बार ।
- 0 जनता को कार्यवृत्त की प्राप्ति:- समिति की बैठक के एजेण्डे के अनुसार त्रैमासिक प्रगति पूर्व बैठक की कार्यवाही विवरण पर कार्यवाही

अध्याय – 8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम ,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 जिला स्तर पर गठित लोक प्राधिकरण :-

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री सौरभ राठौर	क्षेत्र संयोजक	07141	234343	237856	234343	twelfarebetmp@nic.in	कार्या.सहा. आयु. आ.वि. बैतूल कक्ष क्र.10

लोक सूचना अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डॉ. उषा अजय सिंह,	सहायक आयुक्त	07141	234343	238305	234343	twelfarebetmp@nic.in	कार्या.सहा. आयु. आ.वि. बैतूल कक्ष क्र.2

विभागीय अपीलेट अथोरिटी

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डॉ. उषा अजय सिंह,	परियोजना प्रशासक	07141	230043	—	230043	0	एकी.आदि.वि. परियोजना, बैतूल

अध्याय – 9 (मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

- 9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए विभागीय कार्य प्रणाली अनुसार सहायकों से प्रस्तुत नस्तियों पर कार्यालय प्रमुख तथा प्रदत्त अधिकारों के प्रावधान अनुसार कलेक्टर के द्वारा निर्णय लिये जाते हैं ।
- 9.2 विभागीय समस्त विषयों पर विभागीय नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कार्यालय प्रमुख की हैसियत से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास तदपरांत तथा प्रदत्त अधिकारों के प्रावधान अनुसार कलेक्टर के द्वारा निर्णय लिये जाते हैं ।
- 9.3 विषय पर लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा तथा सूचना प्रकाशन के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशन कर किया जाता है ।
- 9.4 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए विभागीय कार्य प्रणाली अनुसार सहायकों से प्रस्तुत नस्तियों पर कार्यालय प्रमुख तथा प्रदत्त अधिकारों के प्रावधान अनुसार कलेक्टर के द्वारा निर्णय लिये जाते हैं ।
- 9.5 विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख एवं कलेक्टर द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाते हैं । कतिपय प्रकरण शासन के निर्देशों के तहत प्रभारी मंत्री, जिला-बैतूल तथा गठित समिति का अनुमोदन उपरान्त कार्यवाही की जाती है ।

9.6

क्र.सं.	—
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	समस्त विभागीय योजना/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
दिशा-निर्देश(यदि हो तो)	विभागीय योजना नियम अनुसार
निर्णय लेने की प्रक्रिया	कार्यालय सहायक द्वारा नस्ती का प्रस्तुतीकरण
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	सहायक आयुक्त/कलेक्टर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों को सम्पर्क सूचना	कार्या.सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें	कार्यालय प्रमुख के निर्णय पर अपील कलेक्टर से एवं कलेक्टर के निर्णय पर विभागाध्यक्ष से अपील समयावधि में की जा सकती है ।

**अध्याय – 10(मैनुअल-9)
अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका**

10.1

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डॉ. उषा अजय सिंह	सहायक आयुक्त	07141	234343	238305	234343	twelfareb etmp@ nic.in	कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
2	श्री एस.के.डोनीवाल,	सहा.संचा.(शि.)	07141	234343	9425002 776			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
3	श्री आर.एल.यादव	प्रभारी सहायक यंत्री	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
4	श्री अशोक कु. गायकवाड़	प्रभारी सहायक यंत्री	07141	234343	9425361 724			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
5	श्री सौरभ राठौर	क्षेत्र संयोजक	07141	234343	237856			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
6	श्री अरविन्द कुशवाह,	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	07141	234343	238083			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
7	श्री आर.पी.विश्वकर्मा	कनि.लेखा अधिकारी	07141	234343	234995			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
8	श्री प्रमोद कुमार,	कनिष्ठ लेखा अधिकारी,	07141	234343	9425003 162			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
9	श्री के.के.कहार	कोच	07141	234343	290367			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
10	श्री वीरेन्द्र कु. दुबे	लेखापाल	07141	234343	9752874 339			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
11	श्री आर.के.भावसार	लेखापाल	07141	234343	9406524 490			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
12	श्री आर.एस.गौतम	लेखापाल	07141	234343	232487			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
13	श्री आर.आर.गावडे	लेखापाल	07141	234343	290406			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
14	श्री राजू सोनारे	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	9301810 623			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
15	श्री जी.पी.कालभोर	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	9826322 141			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
16	श्री आर.के.कुंभारे	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	231799			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
17	श्री एस.एस.मरावी	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
18	श्री बी.आर.ठाकरे	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	234760			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
19	श्री एस.पी.डहाके	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	238590			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
20	श्री अशोक गायकी,	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु. आदि. विकास बैतूल
21	श्री एम.के.कपले	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	236624			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
22	श्रीमती प्रेमलता परतेती	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
23	श्री ललित कुमार बारस्कर	सहा.ग्रेड-2	07141	234343	9301810 319			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल

क्र.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी.कोड.	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
24	श्री मनीष कुमार बारस्कर	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	231904			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
25	श्री कैलाश यादव	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	232904			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
26	श्रीमती लीला घोरे	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	232689			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
27	श्रीमती मंजूलता जैन	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	236906			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
28	श्रीमती अनिता शर्मा	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	290019			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
29	श्रीमती सीमा धुर्वे	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
30	श्रीमती गीता पंडागरे	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	238433			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
31	कु. स्मिता देशमुख	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
32	श्री नितेन्द्र पाण्डे	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	230940			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
33	श्री खुशराज दहीकर	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
34	श्री महादेव डोंगरे	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
35	श्री एम.आर.कापसे	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
36	कु. परमजीत कौर	सहा.ग्रेड-3	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
37	श्री अमृतराव साकरे	वाहन चालक	07141	234343	9301810 292			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
38	श्री एस.के.अवरथी	वाहन चालक	07141	234343	232398			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
39	श्री सीताराम बारस्कर	भृत्य	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
40	श्री देवराव मासतकर	भृत्य	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
41	श्री भूरे सिंह वरकडे	भृत्य	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
42	श्री काशीराम दहीकर	भृत्य	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
43	श्रीमती कांता पटने	भृत्य	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
45	श्री संतोष धुर्वे	भृत्य	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
46	श्री हरिलाल पांसे,	भृत्य	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल
47	श्री तिजेश पटैया	भृत्य	07141	234343	—			कार्या.सहा.आयु.आ. वि.बैतूल

11.1

क्रं	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक (नेट)	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. उषा अजय सिंह	सहायक आयुक्त		—	वित्त विभाग के निर्देशानुसार मासिक रूप से देय
2	श्री एस.के.डोनीवाल,	सहा.संचा.(शि.)		—	
3	श्री अशोक कु. गायकवाड़	प्रभारी सहायक यंत्री	23130	—	
4	श्री सौरभ राठौर	क्षेत्र संयोजक	-	—	
5	श्री अरविन्द कुशवाह,	सहा.सांख्यिकी अधिकारी	17424	—	
6	श्री आर.पी.विश्वकर्मा	कनि.लेखा अधिकारी	23772	—	
7	श्री प्रमोद कुमार,	कनिष्ठ लेखा अधिकारी,	22801	—	
8	श्री राजेश दीक्षित	पी.टी.आई.	22574	—	
9	श्री वीरेन्द्र कु. दुबे	लेखापाल	20770	—	
10	श्री आर.के.भावसार	लेखापाल	15985	—	
11	श्री आर.एस.गौतम	लेखापाल	18865	—	
12	श्री आर.आर.गावंडे	लेखापाल	16631	—	
13	श्री राजू सोनारे	सहा.ग्रेड-2	16135	—	
14	श्री जी.पी.कालभोर	सहा.ग्रेड-2	18799	—	
15	श्री आर.के.कुंभारे	सहा.ग्रेड-2	16153	—	
16	श्री एस.एस.मरावी	सहा.ग्रेड-2	15722	—	
17	श्री बी.आर.ठाकरे	सहा.ग्रेड-2	19491	—	
18	श्री एस.पी.डहाके	सहा.ग्रेड-2	16218	—	
19	श्री अशोक गायकी,	सहा.ग्रेड-2	17128	—	
20	श्री एम.के.कपले	सहा.ग्रेड-2	17176	—	
21	श्रीमती प्रेमलता परतेती	सहा.ग्रेड-2	18612	—	
22	श्री ललित कुमार बारस्कर	सहा.ग्रेड-2	18124	—	
23	श्री मनीष कुमार बारस्कर	सहा.ग्रेड-3	12200	—	
24	श्री कैलाश यादव	सहा.ग्रेड-3	12159	—	
25	श्रीमती लीला घोरे	सहा.ग्रेड-3	13685	—	
26	श्रीमती मंजूलता जैन	सहा.ग्रेड-3	13605	—	
27	श्रीमती अनिता शर्मा	सहा.ग्रेड-3	15061	—	
28	श्रीमती सीमा धुर्वे	सहा.ग्रेड-3	12093	—	
29	श्रीमती गीता पंडागरे	सहा.ग्रेड-3	14018	—	
30	कु. स्मिता देशमुख	सहा.ग्रेड-3	14475	—	
31	श्री नितेन्द्र पाण्डे	सहा.ग्रेड-3	10094	—	
32	श्री खुशराज दहीकर	सहा.ग्रेड-3	11100	—	
33	श्री महादेव डोंगरे	सहा.ग्रेड-3	14535	—	
34	श्री एम.आर.कापसे	सहा.ग्रेड-3	17403	—	
35	कु. परमजीत कौर	सहा.ग्रेड-3	13020	—	
36	श्री अमृतराव साकरे	वाहन चालक	13548	—	

क्रं	नाम	पदनाम	मसिक पारिश्रमिक (नेट)	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	2	3	4	5	6
37	श्री एस.के.अवस्थी	वाहन चालक	14650	—	
38	श्री सीताराम बारस्कर	भृत्य	12345	—	
39	श्री देवराव मासतकर	भृत्य	10712	—	
40	श्री भूरे सिंह वरकडे	भृत्य	10990	—	
41	श्री काशीराम दहीकर	भृत्य	11085	—	
42	श्रीमती कांता पटने	भृत्य	12142	—	
43	श्री संतोष धुर्वे	भृत्य	9243	—	
44	श्री हरिलाल पांसे,	भृत्य	8012	—	
45	श्री तिजेश पटैया	भृत्य	9087	—	

अध्याय – 12 (मैनुअल-11)
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिये –

12.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रारूप में दें ।

एक्सल शीट में प्रपत्र तैयार किया गया है ।

कार्यालय कलेक्टर, (आदिम जाति कल्याण) बेतुल

वर्ष 2011-12 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति

मांग संख्या एवं मुख्य शीर्ष 49/2225/योजनाएँ

माह:-31.08.2011

क्रमांक	योजना क्रमांक एवं नाम	दिया गया आवंटन	व्यय	समर्पित	शेष	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
49/2225/01/277/9999/ आयोजनेत्तर						
1	(8050) राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6वीं से 10 वीं	0	0	0	0	
2	(5903) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2000000	2000000	0	0	
3	(1398) छात्रावास शिष्यवृत्ति	0	0	0	0	
योग:-		2000000	2000000	0	0	
49/2225/01/277/0102/आयोजना						
1	(80) अंशकालीन अध्ययन व्यवसायिक सेवाएं	4800	4800	0	0	
योग:-		4800	4800	0	0	
महायोग:-		2004800	2004800	0	0	
मांग संख्या 74/2225/01/191/9999/आयोजनेत्तर						
1	(5902) राज्य छात्रवृत्ति (6 से 10 वीं)	600000	600000	0	0	
2	(1398) छात्रावास शिष्यवृत्ति	465000	465000	0	0	
योग:-		1065000	1065000	0	0	

कार्यालय कलेक्टर, (आदिम जाति कल्याण) बेतुल
वर्ष 2011-12 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति

मांग संख्या एवं मुख्य शीर्ष 64/2225/योजनाएँ

माह:-31.08.2011

क्रं.	योजना क्रमांक एवं नाम	दिया गया आवंटन	व्यय	समर्पित	शेष	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
64/2225/01/800/0103/						
1	(4719) अनुसूचित जातियों के लिए सहायता राशि	24000	24000	0	0	
2	(8011) सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि	0	0	0	0	
3	(8808) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	250000	250000	0	0	
4	(6839) नेतृत्व विकास शिविर-51 अन्य प्रभार	0	0	0	0	
5	(4722) अनु.जा./अनु.जनजाति बस्तियों का विकास	1689000	1689000	0	0	
6	(1084) खेलकूद प्रतियोगिता पर व्यय	0	0	0	0	
7	(8735) जाति प्रमाण-पत्रों का प्रदाय	0	0	0	0	
योग:-		1963000	1963000	0	0	
64/2225/01/277/0103/						
1	(6170) आई.टी.आई. प्रशिक्षणार्थियों को अति.वृत्तियाँ	0	0	0	0	
2	(8807) छात्रावास/ आश्रमों के भवनों का उन्नयन	300000	300000	0	0	
3	(8843) ग्राम पंचायत पुरस्कार	0	0	0	0	
4	(1384) छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति फार्मों का मुद्रण	0	0	0	0	
5	(4717) अनुसूचित जाति छात्रावास	0	0	0	0	
	आगमन भत्ता	0	0	0	0	
	पुस्तकालय स्थापना	0	0	0	0	
	उत्कृष्टता पुरस्कार	0	0	0	0	
6	(2526) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	150000	150000	0	0	
7	(2676) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	12000000	12000000	0	0	
8	(7562) जिला स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्था.	430000	350000	0	80000	
योग:-		12880000	12800000	0	80000	
64/2225/01/277/0803/						
1	(2676) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	10000000	10000000	0	0	
योग:-		10000000	10000000	0	0	
64/2225/01/800/0703/						
1	(5191) अजा/अजजा अत्या.निवा.सहायता 42-007	800000	162500	387500	250000	49 / 30.06.11
2	(5191) अजा/अजजा अत्या.निवा.सहायता-35 विज्ञापन एवं प्रचार	0	0	0	0	
3	(5191) अजा/अजजा अत्या.निवा.सहायता 51-अन्य प्रभार	0	0	0	0	
4	(0326) अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	0	0	0	0	
	51-अन्य प्रभार सद्भावना शिविर	35000	0	0	35000	
	51-अन्य प्रभार जनजागरण शिविर	0	0	0	0	
	51-अन्य प्रभार ग्राम पंचायत पुरस्कार	0	0	0	0	
	51-अन्य प्रभार अंतरजातिय विवाह योजना	750000	250000	0	500000	
	51-अन्य प्रभार गणतंत्र दिवस आयोजनार्थ				0	
योग:-		1585000	412500	387500	785000	

64/4225/01/800/0103/

1	(1400) छात्रावास/ आश्रम भवनों का निर्माण	0	0	0	0	
2	(7560) विशेष घटक योजनांतर्गत निर्माण कार्य	0	0	0	0	
3	(4722) अनु.जा./अनु.जनजाति बस्तियों का विकास	2875000	175000	0	2700000	
योग:-		2875000	175000	0	2700000	
महायोग:-		29303000	25350500	387500	3565000	

64/2801/06/800/0103/

1	(5214) अजा/अजजा बस्तियों में एकबत्ती कने./ विद्युती.			0	0	
2	(5230) मजरे टोलो का विद्युतीकरण	1000000	1000000	0	0	

64/2801/06/800/0603/

1	(5084) अजा/अजजा कृषको के कुओं तक विद्युत लाईन			0	0	
योग:-		1000000	1000000	0	0	

कार्यालय कलेक्टर, (आदिम जाति कल्याण) बैतूल

वर्ष 2011-12 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति

मांग संख्या एवं मुख्य शीर्ष 15/2225/योजनाएँ

माह:-31.08.2011

क्रं.	योजना क्रमांक एवं नाम	दिया गया आवंटन	व्यय	समर्पित	शेष	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

मांग संख्या 15/2225/01/277/0103

1	(3997) विद्यार्थी कल्याण 42 सहा.अनु. 007 अन्य	20000	10000	0	10000	
2	(8805) प्राथ.स्तर के बालिकाओं को छात्रवृत्ति, 42-002 अन्य	994000	994000	0	0	
3	(4717) अनुसूचित जाति छात्रावास शिष्यवृत्ति, 42-007 अन्य	663000	363000	0	300000	
4	(4717) अनुसूचित जाति छात्रा.स्था.दिवस मनाने हेतु	0	0	0	0	
5	(4717) अनुसूचित जाति पुस्तकालय स्थापना	0	0	0	0	
6	(4717) अनुसूचित जाति छात्रावास सामग्री पूर्ति, प्रसाधन किट	240000	240000	0	0	
7	(4717) अनुसूचित जाति छात्रावास, विद्युत, पेयजल, आकस्मिक व्यय	730000	570000	0	160000	
10	(5133) अन्य छात्रवृत्तियां (कक्षा 6 से 10) 42-सहा. अनु. 009-अनुदान	6784000	6784000	0	0	
योग:-		9431000	8961000	0	470000	

15/2225/01/277/0703/

1	(327) अस्वच्छ धंधों में लगे लोगो के बच्चो के लिए छात्रवृत्तियां, 42-007-अन्य	1440000	1440000	0	0	
योग:-		1440000	1440000	0	0	

15/2225/01/277/0603/

1	(4691) कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजना (कक्षा-6) 42-सहा.अनु.-007 अन्य	686000	686000		0	
2	(8844) कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजना (कक्षा-9 से11) 42-सहा.अनु.-007 अन्य	3335000	2914000		421000	
योग:-		4021000	3600000	0	421000	
महायोग:-		14892000	14001000	0	891000	

अध्याय-13 मैनुअल
अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करायें ।

- **कार्यक्रम/योजना का नाम :-**
अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम/आकस्मिकता योजना अंतर्गत राहत
- **कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा -** 1989 से निरंतर
- **कार्यक्रम का उद्देश्य :-**
अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोग जो गैर अनुसूचित जाति, जनजाति व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित किये जाते हैं अथवा आर्थिक रूप से अति संकटापन्न स्थिति में रहते हैं । उन्हें तत्काल राहत प्रदान करना एवं न्याय दिलाना ।
- **कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) -**
कार्यक्रम अंतर्गत पात्रतानुसार सभी हितग्राहियों को लाभांवित किया गया । फलतः भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की स्थिति शतप्रतिशत रही है ।
- **लाभार्थी की पात्रता -**
पीड़ित/संकटापन्न व्यक्ति अनुसूचित जाति, जनजाति का हो तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत गैर अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा प्रताड़ित हो तथा प्रकरण समुचित रूप से थानों में पंजीबद्ध हो ।
- **पूर्वापेक्षाएं -**
अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभार्थी पात्रता रखता हो तथा पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया हो, डाक्टरी जांच सम्पन्न हुई हो, अधिनियम की अपेक्षानुसार प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत हुआ हो अथवा न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में निर्णय हुआ हो ।
- **अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया -**
पीड़ित पक्षकार अथवा संकटापन्न व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र कलेक्टर/सहायक आयुक्त अथवा पुलिस थाना/अजाक थाना में प्रस्तुत करने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत परीक्षणोपरान्त राहत की पात्रता होती है ।
- **पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड -**
पीड़ित पक्षकार का जाति प्रमाण पत्र, गैर अनुसूचित जाति, जनजाति व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ना के मामले का पंजीकरण, विवेचना पश्चात् मामला सही पाया जाना अथवा न्यायालय का अधिनियम के अंतर्गत निर्णय ।
- **दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशी का विवरण हो) -**
अधिनियम-1995-12(4) के प्रावधान अनुसार पीड़ित पक्षकार को रु. 10000- से लेकर 200000- तक राहत राशि का प्रदान किया जाना । संकटापन्न स्थिति में 2000- रूपये की अधिकतम आर्थिक नगद सहायता प्रदान किया जाना । जिसका उल्लेख अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति नियम -1979 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार ।

- **अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया –**
योजनान्तर्गत पीड़ित पक्षकार को प्रावधानों के तहत 10000-रूपये तक की नगद राशि आर्थिक सहायता तथा पात्रता अनुसार शेष राशि हितग्राही द्वारा बैंक/ पोस्ट आफिस में खोले गए खातों में मासिक आय योजनांतर्गत पीड़ित/आश्रित के नाम रखी जावेगी अथवा फिक्स डिपोजिट में रखी जावेगी ।
- **आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :-**
पीड़ित पक्षकार द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने पर नियमानुसार राहत प्रदान की जाती हैं । संकटापन्न मद अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, को प्रस्तुत करने पर ।
- **आवेदन शुल्क (जहां उचित हो):-**
आवेदन निःशुल्क सहज रूप से प्राप्त किये जाते हैं ।
- **अन्य शुल्क (जहां उचित हो)**
अन्य शुल्क भी लिया जाना प्रावधानित नहीं हैं ।
- **आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बतायें कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें):-**
आवेदन-पत्र में घटित घटना का विवरण/ प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का नाम, आवेदनकर्ता की जाति, आदि का पूर्ण विवरण होना आवश्यक हैं । संकटापन्न व्यक्तियों के मामले में निःसहाय/निराश्रित, दैविक प्रकोप, दुर्घटना, मृत्यु आदि स्थिति से उत्पन्न आर्थिक संकटों का विवरण जिसमें हितग्राही का जीवन निर्वाह कठिन हो गया हों ।
- **संलग्नों का प्रारूप :-**
अत्याचार के प्रकरणों में एफ.आई.आर. संसूचना की प्रति, राजपत्रित पुलिस अधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, जाति प्रमाण-पत्र, चिकित्सीय जाँच का प्रमाण-पत्र आदि ।
- **प्रक्रिया से सम्बंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें:-**
निकटतम पुलिस थाना, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, आजाक.थाना, अथवा पुलिस अधीक्षक/ कलेक्टर ।
- **उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)**
जिला स्तर पर धनराशि उपलब्ध रहती हैं । आवश्यकतानुसार विकास खण्ड स्तर पर तत्काल प्रदत्त की जाती हैं ।

– लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर):–

प्रपत्र-1 (राहत)

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम एवं आकस्मिकता योजना के अंतर्गत राहत राशि का भुगतान विवरण वर्ष 2010-11

जिला-बैतूल

अवधि 01.04.2010 से 20.12.2010

क्रं.	जाति	पीडित का नाम	स्वीकृत राहत राशि	स्वीकृति आदेश		वितरित राहत राशि	वितरण दिनांक	विशेष / धारा
				आदेश क्रमांक	दिनांक			
1	2	3	4	5		6	7	8
अनुसूचित जाति								
1	SC	श्रीमती इमल पत्नी अजाबराव मानेकर, बघोडा मुलताई	6250	4351	02.07.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
2	SC	कु.शकुन्तला पुत्री अमरुतिया शेषकर, महतपुर थाना चिचोली	6250	4351	02.07.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
3	SC	श्रीमती ममता पत्नी महेश छिपने, नेहरू वार्ड मुलताई	6250	4351	02.07.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
4	SC	श्रीमती सुनीता पत्नी शंकर राठीपुर थाना बैतूल	6250	4351	02.07.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
5	SC	कु. लक्ष्मी उर्फ सोनू पुत्री शंकर बिसन्दरे, खेडलीकिला बैतूल	50000	4351	02.07.2010	50000	29.09.10	3-2(5)
6	SC	श्री शुभम पिता जगदीश कापसे, गाडाघाट टिकारी बैतूल	6250	4351	02.07.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
7	SC	कु. सोनी पुत्री अमरलाल टेमझिरा थाना मुलताई	50000	4351	02.07.2010	50000	29.09.10	3-2(5)
8	SC	A श्रीमती सत्यभामा पत्नी स्व. श्री कमलाशंकर रेल्वे कॉलोनी घोडाडोगरी सारणी	6250	4351	02.07.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
9	SC	B श्री विनोद पुत्र कमलाशंकर रेल्वे कॉलोनी घोडाडोगरी सारणी	6250	4351	02.07.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
10	SC	कुमारी पूनम पिता श्री प्रेमलाल गोहे, शक्तिनगर शोभापुर कॉलोनी सारणी	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
11	SC	A श्रीमती भुजली पत्नी स्व. श्री शिवराम हारले, खेडी रामोसी वि.खं.प्रभातपट्टन थाना मुलताई	150000	5670	20.08.2010	150000	29.09.10	3-2(5)
12	SC	B श्रीमती सुंगना पत्नी स्व. श्री सुखराम बचले खेडी रामोसी प्रभातपट्टन	150000	5670	20.08.2010	150000	29.09.10	3-2(5)
13	SC	श्री राजेन्द्र पिता श्री प्रेमचंद नागले, सराड, थाना बैतूल	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
14	SC	श्रीमती तारा पत्नी श्री नौखे लाल पण्डोले कपासिया, थाना मुलताई	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
15	SC	श्री धुन्धराज/श्री राधोजी हुरमाडे, गौनापुर प्रभातपट्टन	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
16	SC	श्री ब्रजेश पिता श्री दसरू बंसोड स्टॉफ क्वॉटर, शाहपुर	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)

17	SC	श्री रामचन्द्र पिता श्री दसरू काटोलकर, साईंखेडा तहसील मुलताई	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
18	SC	A श्री विजय वल्द राम खातरकर, निवासी कुण्डई थाना मुलताई	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
19	SC	B श्रीमती गोपिका पत्नी रामू खातरकर, कुण्डई मुलताई	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
20	SC	C श्री संदीप पिता रामू खातरकर, निवासी कुण्डई	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
21	SC	श्री पूरनलाल पिता चिक्कू महोबे, बरखेड थाना मुलताई	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
22	SC	श्रीमती शांति जौजे साहबलाल तरोडा बुजुर्ग थाना बोरदेही	6250	5670	20.08.2010	6250	29.09.10	3-1(10)
23	SC	श्रीमती भुजली पत्नी स्व. श्री शिवराम हारले, खेडी रामोसी वि.खं.प्रभातपट्टन थानामुलताई	6000	6073	04.09.2010	6000	29.09.10	निर्वाह भत्ता
24	SC	श्रीमती सुगना जौजे स्व. श्री सुखराम बचले खेडी रामोसी वि.खं.प्रभातपट्टन थानामुलताई	6000	6075	04.09.2010	6000	29.09.10	निर्वाह भत्ता
25	SC	कुमारी पूजा पिता श्री दीनदयाल शिवहरे, सोहागपुर थाना बैतूलबाजार	25000	6864	07.10.2010	25000	11.11.10	3-1(11)
26	SC	श्री शिवजी उर्फ मोटू/अर्जुन कवडकर, रातामाटी थाना झल्लार	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
27	SC	A श्री मनोज वल्द श्री मानूलाल मालवे, भीमनगर, आमला	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
28	SC	B श्री कन्हैया वल्द श्री देवजी चौकीकर, भवानी नगर आमला	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
29	SC	A श्री सुक्कू वल्द श्री कालू वाघमारे, अनुसूचित जाति गेहूंबारसा थाना आठनेर	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
30	SC	B श्रीमती आशा जौजे सुक्कू वाघमारे, गेहूंबारसा थाना आठनेर	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
31	SC	कुमारी मोना पिता श्री कैलाश तायवाडे, गांधीवार्ड मुलताई	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
32	SC	श्री अजय वल्द श्री रमेश बडौदे, जैतपुर आमला	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
33	SC	श्रीमती इंदिरा पत्नी श्री सुरेश चंदेलकर, मोतीपुर थाना चिचोली	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
34	SC	A श्री कृष्णा वल्द श्री मन्ना मोहबे, बिसखान,थानाबोरदेही	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
35	SC	B श्रीमती इमरती पत्नी श्री कृष्णा मोहबे, बिसखान थाना बोरदेही	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)

36	SC	श्री अंकेश वल्द श्री हरिनारायण मालवीय, देवठान थाना चिचोली	6250	6864	07.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
37	SC	श्रीमती कौसू बाई जौजे कमलाकर निरापुरे, निवासी कामथ, मुलताई	6250	7363	27.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
38	SC	श्रीमती सुमन जौजे कुंजीलाल सोनारे, इंदिरा कॉलोनी, बैतूल	6250	7363	27.10.2010	6250	11.11.10	3-1(10)
39	SC	कुमारी सरला पिता रामाधीर नकलेश्वर कपासिया, तह. मुलताई हॉल मुकाम दबक उमरेठ जिला छिन्दवाडा	50000	7882	18.11.2010	50000	06.12.10	3-2(5)
40	SC	कुमारी आरती पिता सुदामा नागले.सोनोरा थाना मुलताई	25000	7882	18.11.2010	25000	06.12.10	3-1(12)
41	SC	श्री रमेश वल्द सुन्दरलाल बडौदे, नि.जैतपुर आमला	150000	7882	18.11.2010	150000	06.12.10	3-2(5)
42	SC	A श्रीमती सम्मो पत्नी शिवपाल बेले मोरखा थाना आमला	6250	7882	18.11.2010	6250	06.12.10	3-1(10)
43	SC	B कुमारी राधा पिता शिवपाल बेले निवासी मोरखा थाना आमला	6250	7882	18.11.2010	6250	06.12.10	3-1(10)
44	SC	A कुमारी राधिका पिता नौजीलाल पगारे, महावीर वार्ड मुलताई	25000	7882	18.11.2010	25000	06.12.10	3-1(12)
45	SC	B श्रीमती गौरी पत्नी बबलू बिल्लारे महावीर वार्डमुलताई	25000	7882	18.11.2010	25000	06.12.10	3-1(11)
46	SC	कुमारी कुसुम पिता लक्ष्मीचंद अहिरवार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, आमला	6250	7882	18.11.2010	6250	06.12.10	3-1(10)
47	SC	श्री रमेश वल्द सुन्दरलाल बडौदे, निवासी जैतपुरआमला	6000	8251	01.12.2010	6000	09.12.10	निर्वाह भत्ता
48	SC	श्रीमती कमलती जौजे कपूरचंद बिन्झाडे, डंगारिया विकास खंड आमला हॉल मुकाम घुडनखापा त.पाण्डुना जिला छिन्दवाडा म.प्र.	6250	8401	07.12.2010	6250	09.12.10	3-1(10)
49	SC	A श्री रामदयाल/सुकूबिहारे, निवासी सोमलापुर बोरदेही	6250	8401	07.12.2010	6250	09.12.10	3-1(10)
50	SC	B श्रीमती मुन्नी/ रामदयाल बिहारे, सोमलापुर बोरदेही	6250	8401	07.12.2010	6250	09.12.10	3-1(10)
51	SC	C श्री शंकरलाल/रामदयाल बिहारे, सोमलापुर बोरदेही	6250	8401	07.12.2010	6250	09.12.10	3-1(10)
52	SC	श्री देवकुमार पिता सुखमन पहाडे, हॉल मुकाम रिक टाकीज के पास परासिया, जिला छिन्दवाडा मूल निवासी तिरमहू आमला	6250	8401	07.12.2010	6250	09.12.10	3-1(10)
53	SC	श्रीमती बुल्लो जौजे गोकल असवारे, बेहरीढाना घोडाडोंगरी	25000	8727	20.12.2010	-	-	राशि शीघ्र आहरण कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही हैं ।

54	SC	श्री पंकज पिता कमलकिशोर पाटिलकर, बसोडी मोहल्ला, टिकारी, बैतूल	50000	8945	08.12.10	50000		
55	SC	श्रीमती ज्ञानवती जौजे अशोक मोहबे, छिपन्या पिपरिया बोरदेही	6250	8945	08.12.10	6250		
56	SC	श्री नंदकिशोर पिता शिवपाल शिवमंदिर के पास सुभाष वार्ड हमलापुर बैतूल	6250	8945	08.12.10	6250		
57	SC	कुमारी बबीता आत्मजा सुरेश कुमार मासोदकर, बडोरा, बैतूल हॉल मुकाम डी/287 सुल्तानपुरी दिल्ली-86	6250	8945	08.12.10	6250		
58	SC	श्री मुन्नाला पिता कुंजीलाल बामने, पाटाखेडा चिचोली	6250	8945	08.12.10	6250		
59	SC	श्री नामदेव पिता गुलचंद उबनारे, रामनगर, बैतूल	6250	8945	08.12.10	6250		
60	SC	कुमारी कल्पना आत्मजा अनिल नागले, पीर मंजिल मटन मार्केट आमला	6250	8945	08.12.10	6250		
61	SC	A श्री रवि पिता अमर चौरासे, झोपडी क्रमांक-130 शोभापुर कॉलोनी, सारणी	6250	443	14.01.11	6250		
62	SC	B श्री अमर पिता अम्मीलाल चौरासे, शोभापुर कॉलोनी झोपडी क्रमांक-130 सारणी	6250	443	14.01.11	6250		
63	SC	C श्री प्रकाश पिता चिरोंजी बिहारे, क्लब कॉलोनी, शोभापुर सारणी	6250	443	14.01.11	6250		
64	SC	कुमारी लक्ष्मी आत्मजा राजाराम सलूजा सरदार के मकान के पास घोडाडोंगरी	25000	824	31.01.11	25000		
65	SC	कु. पूनम उर्फ वर्षा आत्मजा कोमल अतुलकर, माण्डवा थाना झल्लार	25000	1581	04.03.11	25000		
66	SC	श्री दिलीप पिता माखन कचरबोह, थाना बोरदेही	6250	1581	04.03.11	6250		
67	SC	श्री राजकुमार पिता फगन्या बेले, थाना आमला	6250	1581	04.03.11	6250		
68	SC	कु. शांता आत्मजा राजू जगदेव दमुआ नाका सारणी	25000	1938	22.03.11	25000		
69	SC	श्री योगेश पिता श्री रघुनाथ कापसे, माईन्स क्वॉटर क्रमांक-1552 हॉस्पिटल कॉलोनी पाथाखेडा सारणी	6250	1938	22.03.11	6250		
70	SC	श्रीमती जयमाला जौजे अमरलाल पाटिल बिरुलबाजार	25000	1938	22.03.11	25000		
71	SC	श्री श्याम पिता श्री मदन गोले, देशबंधुपुरा टिकारी	50000	1938	22.03.11	50000		
72	SC	कुमारी कविता आत्मजा हरिदास खातरीकर, ग्राम खडकी पोस्ट प्रभातपट्टन जिला बैतूल	25000	2149	31.03.11	25000		

13.1 कृपया निम्न प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करायें ।

(स)– कार्यक्रम/योजना का नाम :-

– अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातिय विवाह प्रोत्साहन योजना :-

(एक पक्ष अनुसूचित जाति वर्ग का लडका या लडकी दूसरा पक्ष सवर्ण हिन्दू वर्ग का लडका या लडकी जो अनुसूचित जाति/जनजाति न हो)

– कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा –

1978 से निरंतर (नया नियम 23 जुलाई, 2007 से)

– कार्यक्रम का उद्देश्य :-

अनुसूचित जाति के युवक अथवा युवती द्वारा गैर अनुसूचित जाति के युवक अथवा युवती से विवाह किये जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा-पत्र का प्रदाय ।

– कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) {वर्ष 2010-11}

13 जोड़ों को प्रति जोड़े रूपये 50000- के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई एवं प्रशंसा-पत्र भी प्रदाय किया गया ।

– लाभार्थी की पात्रता –

आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा उसका विवाह गैर अनुसूचित जाति वर्ग के युवक/ युवती से होना चाहिए । तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए । तथा संविधान में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार युवक/ युवती की उम्र न्यूनतम उम्र से कम न हों ।

– पूर्वापेक्षाएं –

आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा उसका विवाह गैर अनुसूचित जाति वर्ग के युवक/ युवती से होना चाहिए । तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए । तथा संविधान में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार युवक/ युवती की उम्र न्यूनतम उम्र से कम न हों ।

– अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया –

अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को (अपने अलग-अलग हस्ताक्षरित) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र (दोनों के) संयुक्त फोटो जाति प्रमाण-पत्र के साथ (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) व निवास प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र, शपथ-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आयु सत्यापन प्रमाण-पत्र, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणीकरण कराकर आदि के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे ।

– पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड –

आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा उसका विवाह गैर अनुसूचित जाति वर्ग के युवक/ युवती से होना चाहिए । तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए । तथा संविधान में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार युवक/ युवती की उम्र न्यूनतम उम्र से कम न हों ।

- **दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशी का विवरण हो) –**
योजनांतर्गत हितग्राही को 50000–रूपये (प्रति जोड़ा) का नगद पुरस्कार प्रोत्साहन स्वरूप प्रशंसा–पत्र के साथ प्रदान करने का प्रावधान है । योजनांतर्गत यात्रा व्यय भी देय होता है ।
- **अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया –**
आवेदक को नगद रूप में पुरस्कार का वितरण किया जाता है ।
- **आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :-**
आवेदन पत्र कलेक्टर को विहित अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जा सकता है ।
- **आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो):-**
आवेदन निःशुल्क सहज रूप से प्राप्त किये जाते हैं ।
- **अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)**
अन्य शुल्क भी लिया जाना प्रावधानित नहीं है ।
- **आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बतायें कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें):-**
आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिसमें युवक/ युवती का पूरा नाम, उनके पिता का पूरा नाम विवाह पूर्व एवं वर्तमान पता, लड़के/ लड़की की जाति, उनकी उम्र, विवाह की तिथि, शैक्षणिक योग्यता, विवाह का स्थान, जीविकोपार्जन का साधन, रोजगार की भावी योजना, का उल्लेख करते हुए विवाह प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, घोषणा–पत्र, शपथ–पत्र, शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन किया जाता है ।
- **संलग्नों का प्रारूप :-**
आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिसमें युवक/ युवती का पूरा नाम, उनके पिता का पूरा नाम विवाह पूर्व एवं वर्तमान पता, लड़के/ लड़की की जाति, उनकी उम्र, विवाह की तिथि, शैक्षणिक योग्यता, विवाह का स्थान, जीविकोपार्जन का साधन, रोजगार की भावी योजना, का उल्लेख करते हुए विवाह प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, घोषणा–पत्र, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र, शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन किया जाता है ।
- **प्रक्रिया से सम्बंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें:-**
कलेक्टर, बैतूल ।
- **उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)**
जिला स्तर पर धनराशि उपलब्ध रहती है । उपलब्ध आबंटन की सीमा एवं निर्धारित लक्ष्य अनुसार स्वीकृति उपरांत आवेदक को प्रदान की जाती है ।
- **लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर):-**

13.1 कृपया निम्न प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करायें ।

(द)– कार्यक्रम/योजना का नाम :-

– विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता योजना :-

– कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा –
वर्ष 1983 से निरंतर प्रभावशील हैं ।

– कार्यक्रम का उद्देश्य :-

अनुसूचित जाति वर्ग के विधि स्नातकों को विधि व्यवसाय में स्थापित होने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि विधि व्यवसाय का कार्य सीखते समय उन्हें आर्थिक कठिनाई न हों ।

– कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) –

वर्ष 2010-11 में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिन्हें लाभान्वित किया गया ।

– लाभार्थी की पात्रता –

आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए । विधि स्नातक को तथा विधि व्यवसाय के कार्य के लिए उद्यत हो ।

– पूर्वापेक्षाएं –

आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए । विधि स्नातक को तथा विधि व्यवसाय के कार्य के लिए उद्यत हो । आवेदक विधि व्यवसाय जारी रखें ।

– अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया –

आवेदक को अपने आवेदन-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विधि स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जा सकता है ।

– पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड –

आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए । विधि स्नातक को तथा विधि व्यवसाय के कार्य के लिए उद्यत हो । आवेदक विधि व्यवसाय जारी रखें ।

– दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशी का विवरण हो) –

200-रूपये प्रतिमाह एक वर्ष के लिए ।

– अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया –

200- रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में नगद प्रदान की जाती हैं ।

– आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें :-

आवेदन पत्र कलेक्टर/ सहायक आयुक्त को विहित अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जा सकता है । आवेदक को कलेक्टर/ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के साथ अनुबंध करना अनिवार्य है ।

– आवेदन शुल्क (जहां उचित हो):-

आवेदन निःशुल्क सहज रूप से प्राप्त किये जाते हैं ।

– अन्य शुल्क (जहां उचित हो)

अन्य शुल्क भी लिया जाना प्रावधानित नहीं है ।

– आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुये यह बतायें कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें):-

आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र विहित आवश्यक अभिलेखों सहित अपने आवेदन कलेक्टर/ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को कर सकते हैं ।

– संलग्नों का प्रारूप :-

जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र ।

– प्रक्रिया से सम्बंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें:-

कलेक्टर, बैतूल ।

– उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)

जिला स्तर पर धनराशि उपलब्ध रहती है । उपलब्ध आबंटन की सीमा तक पात्रता धारी आवेदको को स्वीकृति उपरांत नगद राशि प्रदान की जाती है ।

– लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर):-

अध्याय-14 मैनुअल

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण:-

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं:-

कार्यक्रम का नाम:-

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को अनुज्ञा-पत्र/ प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं । अतः जानकारी निरंक समझी जावे ।
प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)
उद्देश्य लागू नहीं हैं ।

उद्देश्य

निरंक

लक्ष्य (विगत वर्ष में)

निरंक

पात्रता

निरंक

पात्रता का आधार

निरंक

पूर्वापेक्षाएं

निरंक

प्राप्त करने की प्रक्रिया

निरंक

रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा

निरंक

आवेदन शुल्क

निरंक

आवेदन पत्र का प्रारूप

निरंक

संलग्नको की सूची

निरंक

संलग्नकों का प्रारूप

निरंक

प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)

निरंक

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं

दिये जाने वाले लाभ का विवरण

निरंक

लाभ के वितरण की प्रक्रिया

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को अनुज्ञा-पत्र/ प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं । अतः उक्त जानकारी निरंक समझी जावें ।

अध्याय-15 (मैनुअल-14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

- 15.1** लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/ कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/ नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करावें ।
1. विभिन्न क्रियाकलापों हेतु दक्षताअनुसार लिपिकों के मध्य कार्यों का उचित विभाजन ।
 2. कार्यालय में विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले एवं प्रेषित किये जाने वाले (आवक-जावक) पत्रों की समुचित व्यवस्था ।
 3. माननीय सासंद, माननीय विधायक, माननीय जनप्रतिनिधि एवं शासन से समय-सीमा के प्राप्त महत्वपूर्ण पत्र पर त्वरित उचित कार्यवाही ।
 4. शासन के आदेशों/ निर्देशों तथा प्रत्यायोजित प्रशासकीय/ वित्तीय अधिकारों के निर्देश की नस्तियों का योजना एवं शाखावार उचित संधारण
 5. योजनाओं के क्रियान्वयन वित्तीय नियंत्रण हेतु दक्ष प्रभारी अधिकारियों का नामांकन एवं कार्यसंपादन कराने की कार्यवाही ।
 6. कार्यों के त्वरित संपादन के लिए आधुनिक सूचना तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग ।
 7. समय-समय पर कुशल मार्ग-दर्शन एवं निर्देश जिससे टीम भावना से पूरी सहयोगात्मक प्रवृत्ति एवं सामंजस्यता से कार्य संपादित हो सके ।

**अध्याय-16 (मैनुअल -15)
इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें**

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें, जो कि इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट में हों।

इलेक्ट्रानिक फॉर्मेट उपलब्ध नहीं हैं ।

अध्याय-17 (मैनुअल -16)
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/ संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण
जैसै:-

पुस्तकालय	—	पुस्तकालय की व्यवस्था हैं ।
नाटक/ नुक्कड़	—	नहीं
अखबारों के द्वारा	—	जी हाँ
प्रदर्शनी	—	जी हाँ
सूचना पटल	—	जी हाँ
अभिलेखों का निरीक्षण	—	जी हाँ
दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था	—	व्यवस्था की गई हैं ।
उपलब्ध विभागीय मैनुअल	—	अप्राप्त
लोक प्राधिकरण की वेब साइट	—	—
अन्य प्रचार-प्रसार का साधन	—	शिविर/ बैठकों का आयोजन

**अध्याय-18 (मैनुअल -17)
अन्य उपयोगी जानकारियाँ**

- 18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर
जनमानस द्वारा लोक प्राधिकरण से सामान्यतः कर्मचारियों के स्थानांतरण, निर्माण कार्य, सामग्री क्रय, राहत आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका संतोषजनक उत्तर दिये जाते हैं ।
- 18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में :-
जनता को प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।
- 18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि के संबंध में जो,कि मैनुअल-13 में न सम्मिलित हों ।
इस कार्यालय द्वारा उक्त प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं ।
- 18.2 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में :- निरंक
- 18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा टेक्स लेने के संबंध में :- निरंक
- 18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/ पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थाई/ स्थाई रूप से विच्छेदन आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका/ परिषद/ यू.पी.सी.एल. द्वारा दी जा सकती है ।) निरंक
- 18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण :-
विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए चाही गई जानकारियों का मार्गदर्शन नागरिकों को दी जाती है ।